



संख्या— 293  
04/03/2010

मतदाता सूची में शत प्रतिशत फोटो आच्छादीत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बी एल ओ राजनितिक दलों द्वारा नियुक्त बी०एल०ओ० का सहयोग प्राप्त करें।

पटना, 4 मार्च 2010 :: गया में फोटोयुक्त मतदाता सूची के घर-घर जाकर सत्यापन कार्य की अवधि 7 मार्च तक विस्तारित कर दी गई है। प्रपत्र 8 में मतदाताओं से फोटो प्राप्त करने की अवधि 31 मार्च तक विस्तारित कर दी गई है। 7 मार्च तक सभी बी एल ओ 77 प्रतिशत तथा 31 मार्च तक 90 प्रतिशत मतदाताओं से फोटो प्राप्त करने का लक्ष्य बी०एल०ओ० को दिया गया है। यह जानकारी जिला पदाधिकारी ने दी। जिला पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि वे बी०एल०ओ० द्वारा मतदाता सूची के घर-घर सत्यापन में उनका सहयोग करें तथा अपना रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो मांगने पर बी०एल०ओ० को उपलब्ध करायें।

जिला पदाधिकारी ने सभी बी०एल०ओ० को यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में शत प्रतिशत फोटो आच्छादित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बी०एल०ओ० मान्यताप्राप्त राजनितिक दलों द्वारा नियुक्त बी०एल०ओ० से सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। जिला पदाधिकारी ने ऐसे बी०एल०ओ० जिन्होंने घर-घर सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा सभी अवशिष्ट मतदाताओं से फोटो प्राप्त कर लिया है वे फोटो युक्त मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति एवं प्रपत्र 8 में प्राप्त फोटो अपने अनुमंडल कार्यालय में तत्काल जमा कर देंगे ताकि डाटा में सुधार तथा फोटो का स्कैन कराने का कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जा सके। घर घर सत्यापन के क्रम में बार बार अनुरोध के बावजूद भी अपरिहार्य कारणों से जिन मतदाताओं द्वारा प्रपत्र 8 में फोटो नहीं उपलब्ध नहीं कराया जा सका है उनमें चिन्हित कर उनकी सूची सम्बन्धित विकास पदाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि वैसे मतदाताओं के घर जाकर फोटोग्राफी का कार्य कराया जा सके।

जिला पदाधिकारी ने सभी बी एल ओ यह भी निर्देश दिया है कि वे घर घर सत्यापन के क्रम में मतदाता का नाम, पिता का नाम हिन्दी तथा अंग्रजी में उनके सम्बन्धी अशुद्धियों को शुद्ध कर कार्यकारी प्रति में अंकित करें। घर घर जाकर

## मतदाता सूची में शत प्रतिशत फोटो....

सत्यापन के क्रम में नये नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त करने के साथ एक अद्यतन रंगीन फोटो भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय तथा इसे प्रपत्र 6 पर अच्छी तरह से चिपका दिया जाय। मृत अनिवासी मतदाताओं के नाम हटाने हेतु उनके पड़ोसी एवं सम्बन्धी से प्रपत्र 8 में आपत्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

जिला पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि वे फोटो युक्त मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग करें।

\*\*\*\*\*